रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

निवेदन है कि आवेदक का नाम राजस्व रेकर्ड आधार के 148 गमा. सम्वत 2073-76 में लीलाराम पुत्र सरदारा बोल मूर्ख के नाम दर्ज है लेकिन आवेदक द्वारा आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण, राशन कार्ड आदि में लालचन्द पुत्र सरदारा के नाम से बने हुए है आवेदक राजस्व रेकर्ड में लालचन्द पुत्र सरदारा का दर्ज करवाना चाहता है रिपोर्ट पेश है

प्रमाणित
पटवारी
11-5-18

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

मूल ही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय को सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू.अ.)
जमवारामगढ़

मु.नं. - 15/2018 धारा 88RTMA
आवाम - लालचन्द बनाम सरकार आदेश

मुताबिक तहसीलदार जमवारामगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार नाम की दुरुस्ती करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ़ को दिये जाते है तहसीलदार जमवारामगढ़ तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल करें।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उप खण्ड अधिकारी

.....